



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012024-251658
CG-DL-E-31012024-251658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2024/माघ 10, 1945

No. 64]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2024

फा.सं. एनसीटीई.रेगु.022/16/2023—विनि.अनु.मुख्यालय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन—(1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 कहलाएंगे।

(2) इन्हें 26 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के परिशिष्ट-15 में अनुच्छेद 6 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“6क. जिन संस्थानों को, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एनसीटीई—रेगु011/80/2018—एमएस(विनियमन)—मुख्यालय द्वारा इसके हटाए जाने से पूर्व, हटाए गए परिशिष्ट-13 के अंतर्गत 4-वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है, वह जारी रहेगी और उन्हें इस शर्त के अधीन छात्रों को नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी कि वे शैक्षणिक सत्र 2025—2026 की शुरुआत से पहले दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2021 के अनुसार नए एकीकृत

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में परिवर्तित हो जाएंगे। हटाए गए परिशिष्ट-13 के अंतर्गत 4-वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड कार्यक्रम, शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से बंद कर दिया जाएगा और हटाए गए परिशिष्ट-13 के अंतर्गत 4-वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड कार्यक्रम संचालित करने वाले किसी भी मौजूदा संस्थान को नए दाखिले करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./719/2023-24]

विवरणात्मक ज्ञापन:—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के परिशिष्ट-13 में उल्लिखित बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड कार्यक्रम के लिए मानदंडों व मानकों को दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं: एनसीटीई.रेगु011/80/2018-एमएस(विनियमन)-मुख्यालय द्वारा हटा दिया गया था, जिसे दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में प्रकाशित किया गया था। तथापि, जिन संस्थानों को उक्त परिशिष्ट-13 को हटाए जाने से पूर्व, इसके अंतर्गत पहले से ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा उक्त कार्यक्रम के संचालन के लिए मान्यता दी गई थी, वे इसे हटाए जाने के बाद भी इसे संचालित करना जारी रख सकते थे।

वर्तमान अधिसूचना को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करने पर, किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा, जो हटाए गए परिशिष्ट-13 के अंतर्गत पहले ही नामांकन करा चुके हैं और अपना पाठ्यक्रम जारी रखे हुए हैं।

टिप्पणी:—दिनांक 28 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एफ.51-1/2014/एनसीटीई (एनएंडएस) द्वारा मूल विनियम, दिनांक 01 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड-4 में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. एनसीटीई.रेगु022/5/2021-कार्यालय डीएस(विनियमन)-मुख्यालय द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2024

F. No. NCTE-Regl.022/16/2023-Reg.Sec.-HQ.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.—(1)These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 26th October, 2021.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, in Appendix-15, after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“6A. The institutions which have been granted recognition for conducting 4-year Integrated B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme under the omitted Appendix-13 prior to its omission *vide* Gazette Notification No: NCTE-Regl011/80/2018-MS(Regulation)-HQ, dated the 22nd October, 2021 shall continue and they shall be allowed to enroll students subject to the condition that they shall transit to the new Integrated Teacher Education Programme in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Amendment Regulations, 2021 dated the 22nd October, 2021 before the start of the academic session 2025-2026. 4-year Integrated B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme under the omitted Appendix-13 shall be discontinued from the academic session 2025-2026 and no fresh admissions shall be allowed to any of the existing institutions conducting 4-year Integrated B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme under omitted Appendix-13.”

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./719/2023-24]

Explanatory Memorandum:—The Norms and Standards for B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme mentioned in Appendix-13 of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 were omitted *vide* Notification No: NCTE-Reg1011/80/2018-MS (Regulation)-HQ, dated the 22nd October, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 26th October, 2021. However, the institutions which were already recognised under the said Appendix-13 prior to its omission by the National Council for Teacher Education for conducting the said programme might have continued to offer it after the omission also.

By giving retrospective effect to the present notification, no one shall be adversely affected and it will be beneficial for those students who have already enrolled under the omitted Appendix-13 and continuing their course.

Note:—The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December, 2014, *vide* notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended *vide* notification number F. No. NCTE-Reg1022/5/2021-O/o DS(Regulation)-HQ., dated the 19th October, 2022.